कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्य प्रदेश

प्रगति भवन, भोपाल विकास प्राधिकरण, तृतीय तल, एम.पी.नगर, भोपाल
दूरभाष–0755.2674318, 2674337, फैक्स 0755.2766315
ई–मेल pccfwl@mpforest.org

क्रमांक/2017/ स्था-1/ 4348 भोपाल दिनांक 3.7.2017

प्रति,

1. क्षेत्र संचालक, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, संजय, पेंच एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व
2. मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त (क्षेत्रीय), भोपाल, छतरपुर, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, सागर,रीवा एवं उज्जैन
3. संचालक माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी,
4. संचालक, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल
5. वनमंडलाधिकारी कूनो वन्यप्राणी, वनमंडल श्योपुर, नौरादेही वन्यप्राणी वनमंडल सागर,
6. वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) मंदसौर, सतना, ग्वालियर, देवास, राजगढ़, मुरैना, औ.गंज, टीकमगढ़, रतलाम, धार , दमोह, डिण्डौरी एवं इन्दौर ।

विषयः–संरक्षित क्षेत्र एवं चिड़ियाघर के गाइड प्रशिक्षण बावत् ।

––––––0000––––––

पर्यटकों द्वारा राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों के भ्रमण को मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद बनाने के लिये गाइडों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। गाइडों के ज्ञान एवं कौशल के विकास पर सतत विचार किया जाना आवश्यक है जिसके लिये टाइगर रिजर्व में प्रतिवर्ष गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम किये जाते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से सम्पन्न किये जाने हेतु म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड द्वारा **"गाईड प्रशिक्षण कार्यक्रम"** की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई जो संलग्न प्रेषित है। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण स्थल, प्रशिक्षण अवधि, विषय विशेषज्ञ, प्रशिक्षण के विषय तथा कार्यक्रम हेतु वित्तीय व्यवस्था का विवरण दिया गया है साथ ही टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य/चिड़ियाघर के गाइडों के प्रशिक्षण का भी लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष संरक्षित क्षेत्रों में नवीन पर्यटन दरों में गाइडों की **जी–1, जी–2** श्रेणी में श्रेणीकरण का प्रावधान रखा जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम उपरांत गाइडों के मूल्यांकन एवं श्रेणीकरण का प्रावधान इस प्रशिक्षण में समाहित किया गया है।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु वित्तीय व्यवस्था भी म.प्र.ईकोपर्यटन विकास बोर्ड द्वारा उपलब्ध करायी जावेगी। अतः गाइड प्रशिक्षण परिपत्र अनुसार इस वर्ष निर्धारित अवधि में प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

J. Agrwl 03/7/17

(जितेन्द्र अग्रवाल)
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र.

क्रमांक/2017/ स्था-1/ 4349 भोपाल दिनांक 3.7.2017

प्रतिलिपि–1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र.ईकोपर्यटन विकास बोर्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

2. अधीक्षक, गांधीसागर अभ्यारण्य , मुकुन्दपुर चिड़ियाघर सह उपचार केन्द, घाटीगांव अभ्यारण्य, खिवनी अभ्या., नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य, रातापानी, सिंघौरी अभ्यारण्य, ओरछा अभ्या., सैलाना अभ्या., सरदारपुर अभ्या, डायनासौर रा.उ, वीरांगना दुर्गावती अभ्या. घुघुवा रा.उ. एवं रालामंडल अभ्यारण्य

03/7/17

(जितेन्द्र अग्रवाल)
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र.

मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड

(मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग)

"गाईड प्रशिक्षण कार्यक्रम"

(प्रदेश के समस्त संरक्षित क्षेत्रों के पंजीकृत गाइडों हेतु क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन)

1. भूमिका

प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में भ्रमण के लिये आने वाले पर्यटको का सीधा सम्पर्क गाइडों से होता है, गाइडों की सहायता से पर्यटकों के भ्रमण को मनोरंजक, शिक्षाप्रद बनाने के साथ–साथ उन्हें वन्यप्राणी, पर्यावरण एवं उनके संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा सकता है। अधिकतर देखा गया है की गाइडों को जानकारी होने के बावजूद प्रभावशाली प्रस्तुतीकरण ना होने के कारण वे पर्यटको को पर्याप्त जानकारी देने मे असमर्थ होते है एवं पर्यटको में वन एवं वन्यप्राणीयों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न नही हो पाती तथा पर्यटक केवल बाघ पर केन्द्रति हो कर रह जाते है। गाइड पर्यटकों को प्रकृति विज्ञान से रूबरू कराने में अहम भूमिका निभा सकते है जिसके लिए उन्हें गाइड कार्य का तकनीकी ज्ञान होना अति आवश्यक है। इस अवधारणा को ध्यान में रखकर गाइडों की क्षमता विकसित करने हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाया गया है, जिसमे गाइडों को प्रकृति व्याख्या, पेड़–पौधे, पशु–पक्षियों, तितलियों, कीट–पंतगों आदि जानकारी प्रदाय करने के साथ साथ प्रस्तुतीकरण पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा, ताकि उनके अनुभव में और वृद्धि हो सके। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के समस्त टाइगर रिजर्व के कोर एवं बफर तथा अन्य सभी राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के गाइडों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

2. प्रशिक्षण का लक्ष्य :–

इस प्रशिक्षण के द्वारा गाइडों को जंगल में मिलने वाले पेड़–पौधे, पशु–पक्षियों, कीट पंतगों एवं अन्य के विषय में पर्याप्त ज्ञान उपलब्ध कराया जायेगा तथा उनके व्यवहार कौशल में विकास किया जायेगा ताकि वे पर्यटकों को प्रकृति भ्रमण करा कर प्रभावी रूप से प्रकृति व्याख्या कर सकें तथा अपने संवाद, सौहादपूर्ण व्यवहार से पर्यटकों को प्रभावित कर अनूठा अनुभव तथा ज्ञान उपलब्ध करा सकें। गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गाइडों में उनके कार्यो को कुशलतापूर्वक संपादन करनें की क्षमता विकसित करना है।

3. लक्षित समूह

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नानुसार गाइड शामिल होगेः–

अ. टाइगर रिजर्व के गाइड

ब. अन्य राष्ट्रीय उद्यान के गाइड

स. अभ्यारण्य के गाइड

1. प्रशिक्षण स्थल–

विभिन्न टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य के गाइडों को निम्नानुसार स्थल पर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा–

क्र.	कार्यक्रम स्थल		राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य	समन्वयक अधिकारी
1.	कान्हा टाईगर रिजर्व	1	कान्हा टाईगर रिजर्व कोर एवं बफर	क्षेत्र संचालक, कान्हा टाईगर रिजर्व
		2	फेन अभ्यारण्य,मंडला	
2.	पेंच टाईगर रिजर्व	3	पेंच टाईगर रिजर्व कोर एवं बफर	क्षेत्र संचालक, पेंच टाईगर रिजर्व
		4	मोघली अभ्यारण्य, सिवनी	
3.	सतपुड़ा टाईगर रिजर्व	5	सतपुड़ा टाईगर रिजर्व कोर एवं बफर	क्षेत्र संचालक, सतपुड़ा टाईगर रिजर्व
		6	बोरी अभ्यारण्य, होशंगावाद	
		7	पचमढ़ी अभ्यारण्य , होशंगावाद	
		8	गांधी सागर अभ्यारण्य, मंदसौर	
		9	सिंघौरी अभ्यारण्य, औबदुल्लागंज	
		10	रातापानी अभ्यारण्य, औबदुल्लागंज	
		11	खिवनी अभ्यारण्य, देवास	
4.	पन्ना टाईगर रिजर्व	12	पन्ना टाईगर रिजर्व कोर एवं बफर	क्षेत्र संचालक, पन्ना टाईगर रिजर्व
		13	गंगऊ अभ्यारण्य, पन्ना	
		14	केन घडियाल अभ्यारण्य, पन्ना	
		15	नौरादेही वन्यप्राणी अभ्यारण्य, सागर	
		16	वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य, दमोह	
		17	ओरछा अभ्यारण्य, टीकमगढ़	
5.	बाधंवगढ़ टाईगर रिजर्व	18	बाधंवगढ़ टाईगर रिजर्व कोर एवं बफर	क्षेत्र संचालक, बाधंवगढ़ टाईगर रिजर्व
		19	पनपथा अभ्यारण्य, उमरिया	
6.	संजय टाईगर रिजर्व	20	संजय टाईगर रिजर्व कोर एवं बफर	क्षेत्र संचालक, संजय टाईगर रिजर्व
		21	संजय (डुबरी) अभ्यारण्य, सीधी	
		22	बगदरा अभ्यारण्य, सीधी	
		23	सोन घडियाल अभ्यारण्य, सीधी	
7.	माधव राष्ट्रीय उद्यान	24	माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी	संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी
		25	घाटीगांव अभ्यारण्य, ग्वालियर	
		26	राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य, मुरैना	
		27	कूनो पालपुर वन्यप्राणी अभ्यारण्य, श्योपुर	
		28	करेरा अभ्यारण्य, शिवपुरी	
8.	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान	29	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल एवं मुकुन्दपुर जू, सतना	संचालक, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान
		30	रालामंडल अभ्यारण्य इन्दौर	
		31	सैलाना अभ्यारण्य, रतलाम	
		32	सरदारपुर अभ्यारण्य, धार	
		33	नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य, राजगढ़	
9.	एस.एफ.आर.आई या अन्य संस्थान	34	डायनासोर जीवाशम राष्ट्रीय उद्यान, धार	मुख्य वन संरक्षक,इन्दौर,
		35	फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, डिण्डौरी	मुख्य वन संरक्षक, जबलपुर,

राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों के प्रभारी अधिकारी अपने यहॉ कार्यरत गाइडों की सूची संबंधित समन्वयक अधिकारी को भेजेंगे।

5. प्रशिक्षण अवधि –

गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम छः दिवसीय होगा, जो माह जुलाई से सितंबर 2017 के मध्य में सम्पादित किया जायेगा।

6. विषय विशेषज्ञ –

गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु संबंधित क्षेत्र संचालक अपने स्तर से अनुभवी विषय विशेषज्ञों का चयन करेंगें। विषय विशेषज्ञ के लिए वन विभाग के कार्यरत अधिकारी, सेवानिवृत अधिकारी, एन.जी.ओ., विभिन्न प्रतिष्ठित लॉजेस् एवं रिसॉर्ट्स के नेचरालिस्ट की सेवाये ली जायेगी साथ ही प्रतिष्ठित संस्थान जैसे IIFM, SFRI, MP Tourism Development Corporation आदि से भी विषय विशेषज्ञों को शामिल किया जा सकता है। प्रशिक्षण स्थल पर विशेषज्ञों के ठहरने एवं अन्य व्यवस्था संबंधित क्षेत्र संचालक द्वारा किया जाना है। क्षेत्र संचालक द्वारा विषय विशेषज्ञों को मानदेय दिया जाएगा एवं उनके यात्रा व्यय का प्रतिपूर्ती भुगतान किया जाएगा।

7. प्रशिक्षण के विषय –

गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत गाइडों को उत्कृष्ट गाइड के रूप में कार्य करने हेतु विभिन्न विधाओं (वन्यप्राणी एवं पक्षी दर्शन, पेड़–पौधों, संवाद कौशल, अंग्रेजी ज्ञान, संरक्षण शिक्षण एवं अन्य विविध विषय) का आधारभूत ज्ञान दिया जावेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये की प्रशिक्षण के दौरान प्रदाय की जा रही जानकारियों को गाइड पर्यटकों के समक्ष व्यक्त करनें में सक्षम हो सकें। प्रशिक्षण मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर केन्द्रित होगा।

7.1 गाइड विशेषता तथा व्यवहार एवं वार्तालाप कौशल

इसके अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों को ईकोपर्यटन, पर्यटन, गाइडिंग का तकनीकी ज्ञान, तथा व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यवहार कुशलता के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण के अंतर्गत निम्न विषय सम्मिलित किये जावेंगे –

- गाइड का परिचय, भूमिका एवं कर्तव्य
- गाइड कार्य का तकनीकी ज्ञान
- गाइड से अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण
- पर्यटन एवं ईकोपर्यटन का परिचय
- पर्यटकों का परिचय ,उनकी आवश्यकता एवं उनकी सुरक्षा हेतु आवश्यक बातें
- पर्यटकों को आकर्षित करने तथा उनसे बातचीत करने की कला
- पर्यटन जागरूकता एवं पर्यटकों हेतु स्मरणीय बिंदु
- बेसिक इंग्लिश का ज्ञान
- स्थानीय सांस्कृतिक परम्परायें

7.2 प्रकृति भ्रमण–

इसके अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों को पारिस्थितिकीय तंत्र, पारिस्थितिकीय संतुलन, खाद्य श्रृंखला आदि की जानकारी, विभिन्न जीवों का मानव जीवन में महत्व, इत्यादि की जानकारी के साथ निम्न विषय से अवगत कराया जावेगे ।

- प्रकृति, प्रकृति दर्शन का अर्थ, व्याख्या, आवश्यकता एवं महत्व।
- प्रकृति भ्रमण के मूल सिद्धांत एवं प्रकृति भ्रमण के समय ध्यान रखने योग्य बातें ।
- जैव विविधता, जल संरक्षण आदि का महत्व एवं इसकी आवश्यकता।
- वन औषधिय एवं उनका उपयोग।
- स्वच्छता एवं स्वास्थ्य विषयक जानकारी।

7.3 पेड़–पौधों की पहचान

मध्यप्रदेश के वनों में पाये जाने वाले मुख्य वृक्षों, झाड़ी, शाक प्रजाति एवं घासों की पहचान करना एवं उनके महत्व एवं उपयोग बताना ।

7.4 पक्षी दर्शन–

- पक्षी अवलोकन के मूल सिद्धांत, पक्षी अवलोकन कैसे करना चाहिए
- मध्यप्रदेश में सामान्यतः पाए जाने वाले स्थानीय तथा प्रवासी पक्षियों की पहचान, पक्षी के स्वर पहचानना, पक्षी के आवास, व्यवहार, प्रवास, उनकी विष्टा और भोजन संबंधी जानकारी। पक्षियों का महत्व ।

7.5 वन्यप्राणी व्याख्या –

मध्यप्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतुओं की विशेषतों को ध्यान रखते हुए निम्नानुसार जानकारी दी जाएगी।

- वन्यप्राणियों की पहचान, शाकाहारी एवं मांसाहारी प्राणियों में अंतर, मुख्य आदतें, भोजन, आवास, व्यवहार, इत्यादि की सामान्य जानकारी वन्यप्राणियों से संबंधित विशिष्ट रोचक जानकारियां।
- वन्यप्राणियों के पदचिन्ह, खरोंच, विष्ठा, बाल, खाये हुए भोजन के आधार पर उनकी पहचान व व्यवहार।
- मुख्य तितली प्रजातियों की पहचान तथा उनकी संरचना, सामान्य आवास, जीवन चक्र, भोजन एवं आदतें।
- मुख्य अकशेरूकीय (बिना रीढ़ वाले) जंतुओं एवं कीटों की पहचान तथा उनकी विशेषता।

7.6 इतिहास एवं वन्यप्राणी प्रबंधन के रोचक तथ्य–

वन एवं वन्यप्राणी प्रबंधन से जुड़े इतिहास की जानकारी पर्यटकों अनुभव को रोचक बना सकती है:

- म.प्र.में वन एवं वन्यप्राणी प्रबंधन का इतिहास
- टायगर रिजर्व/राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य की स्थापना से जुड़े रोचक तथ्य
- वन्यप्राणी प्रबंधन में वर्तमान में किये जा रहे अभिनव प्रयोग जैसे कि ग्राम विस्थापन, वन्यप्राणी translocation, census, collaring, animal capture, rewilding of orphaned cubs, Boma technique
- विभागीय गतिविधियां एवं वन्यप्राणी प्रबंधन में कार्यरत विभागीय अमले की दिनचर्या

7.7 विशिष्ट प्रशिक्षण–

वन विहार राष्ट्रीय उद्यान तथा मुकुन्दपुर चिड़ियाघर के गाइडों को चिड़ियाघर के संबंध में विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार जीवाश्म उद्यान के गाइडों को भी जीवाश्म बावत् विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होगी। अतः उक्त स्थलों के गाइडों हेतु संबंधित समन्वयक अधिकारी द्वारा Specialist Resource Person की भी व्यवस्था की जावेगी

8. वित्तीय व्यवस्था –

गाइडों का प्रशिक्षण 40–40 गाइडों के समूह में किया जायेगा। 40 गाइडों के एक समूह हेतु निम्नानुसार राशि का प्रावधान रहेगा:–

क्र.	विवरण	छर (छः दिवस हेतु)	संख्या	राशि (रू.)
1	भोजन	1500 प्रति गाइड	40	60.000
2	पाठन सामग्री	100 प्रति गाइड	40	4.000
3	विषय विशेषज्ञ मानदेय	12000 प्रति विशेषज्ञ	3	36,000
4	विषय विशेषज्ञ यात्रा व्यय	10000 प्रति विशेषज्ञ	3	30,000
5	विषय विशेषज्ञ भोजन व्यवस्था	3600 प्रति विशेषज्ञ	3	10,800
6	अन्य व्यय		L.S.	25,000
			योग	**1,65,800/-**

गाइड को प्रत्येक दो वर्ष मे एक बार यूनिफार्म दी जाएगी जिसमें शर्ट, पैंट, हंटर शू, मोज़ा, कैप व बैल्ट शामिल होगा। यूनिफार्म हेतु प्रति गाइड रूपये 1,400/– की राशि दी जायेगी।

राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों के अधिकारी उनके यहाँ कार्यरत गाइडों की सूची कंडिका 4 में दर्शित समन्वयक अधिकारी को भेजेंगे। उक्त सूची के आधार पर समन्वयक अधिकारी द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड से बजट आवंटन प्राप्त कर प्रशिक्षण कार्यक्रम संपादित किया जायेगा।

9. मूल्यांकन एवं श्रेणीकरण :–

प्रशिक्षण में समन्वयक अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण के अन्तिम दिवस मूल्यांकन हेतु परीक्षा आयोजित की जायेगी जिसमें लिखित एवं मौखिक परीक्षा शामिल होगी। लिखित एवं मौखिक परीक्षा प्रशिक्षण में बताये गये विषयों एवं सामग्री पर आधारित होगी। मौखिक परीक्षा में गाइड की संसूचना क्षमता (Communication Skill), वार्तालाप शैली , अन्य भाषाओं का ज्ञान, व्यवहार, Overall get up, आदि का परीक्षण किया जायेगा। लिखित परीक्षा में गाइड के प्रशिक्षण में शामिल विषयों के ज्ञान का परीक्षण किया जायेगा। लिखित परीक्षा 40 अंक तथा मौखिक परीक्षा 60 अंक की होगी।

इस प्रकार कुल 100 अंकों की परीक्षा में से 50 एवं इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले गाइड को गाइड कार्य हेतु उपयुक्त घोषित किया जायेगा तथा तदुपरान्त उन्हें अन्य अर्हताओं के आधार पर जी–1 जी–2 श्रेणी में श्रेणीकरण किया जायेगा ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रारम्भ में ही उक्त परीक्षा एवं गाइड हेतु उपयुक्त घोषित होने के लिये न्यूनतम अर्हता (50 अंक) बावत् सभी गाइडों को अवगत कराया जावेगा।

(पुष्कर सिंह) भा.व.से.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.ईकोपर्यटन विकास बोर्ड एवं
पदेन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी संरक्षण)